

# FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

महान्याय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

न ..... अमना देवी वगैरे ..... बनाम ..... श्री धीमलाल वगैरे .....  
मुकदमा ..... फौज ..... मुकदमा नं. .... 50 ..... सन् 2018

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
30/18	पकील पाटीगण श्री भजनाराम ने मजिस्ट्रेट अदालत छोड़र वाइपर पेश किया फाव फर्द रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की नकली जारी तम्भन की जाफर पत्रावली केम्प केई गोविन्दपुरा मे दिनांक 29-05-2018 को पेश हे।	
29/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अस्थान : न्याय आपके द्वारा-2018 के तहत केम्प स्थल अदालत सेवा केन्द्र गोविन्दपुरा में पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण। ता 4 की जोर से राजीनामा पेश किया गया। वादीगण की पहचान श्री भजनाराम एड. ने की तथा प्रतिवादीगण। ता 4 की पहचान श्री वसन्त कुमार वर्मा एड. ने की। उपस्थित पत्रकारान जो राजीनामा मठकर सुनाया गया जिसे खत व समझना उपस्थित पत्रकारान द्वारा लही हेना स्वीकार किया गया। अतः हस्तव्यवहार पत्रकारान राजीनामा वाद तहदीक शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण खाता मुख्य परिदण वसन्त वन्ताराम पुत्र मन्मथाराम दत्तक पुत्र के लका शपथ पत्र शामिल पत्रावली किया गया।	<p>नि. भजनाराम देवी सुरेश</p> <p>16. श्री धीमलाल</p> <p>श्री. वसन्त कुमार</p> <p>16. श्री धीमलाल</p> <p>16. श्री धीमलाल</p> <p>नि. वसन्त कुमार</p>

No objection

T.S.R K.S.C  
29.05.2018



पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड पेशशुदा  
संश्लेषण का अवलोकन

बहुलाय उग्रपन्न ने मुताबिक राजीनामा दस्ता  
डिक्ली करवाया जाने का निर्देश किया। वहुलाय  
उग्रपन्न के निर्देश पर भूमिधारी तहसीलदार छण्डेला  
ने कोई आपत्ति जाहीर नहीं की।

राजस्व रिकार्ड पेशशुदा पत्रावली पर उपलब्ध  
राजीनामा का अवलोकन  
किया गया जितने अवलोकन से स्व लोक अज्ञात  
की भावना से वादीगण का वाद स्वीकार किया  
जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया  
जाता है तथा घोषणा की जाती है कि:-

आदेश

तत्त ग्राम उदयपुरा तहसील छण्डेला अवस्थित  
शुषि भूमि खसत नं. 222, 237 एका 2.57 हे.  
सम्पूर्ण में तथा शुषि भूमि ख. नं. 341, 342 एका  
2.42 हे. में 1/4 हिस्सा में तथा शुषि भूमि ख. नं.  
338 एका 0.02 हे. में 1/3 हिस्सा में वादीगण  
का दर्ज नाम "जमना देवी पत्नी मन्पूराउसाद, सीताराम  
सुरेश पुत्रगण मन्पूराउसाद" के स्थान पर "जमना  
देवी पत्नी बन्नाराम, सीताराम, सुरेश पुत्रगण बन्नाराम"  
दुबस्त किया जाता है अर्थात् वादीगण के पति/  
पिता का नाम "मन्पूराउसाद" के स्थान पर सही व  
वास्तविक नाम "बन्नाराम" दुबस्त किया जाता है।  
अतः उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमूल दरमद  
किया जावे। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्ली  
जारी हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से  
जाम हो तथा बाद तलमील दाखिल दफ्तर हो।  
निर्णय मजमें जाम सुनाया गया।

मन्पूराउसाद  
T.S.R  
बन्पूराउसाद कलक्टर

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

अदालत ..... सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक ..... मुकाम ..... खण्डेला .....

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ शाख, RAS

पक्ष ① जमना देवी : \* बनाम ② प्रथमलाल : \*

बाबत चौखण्डा, इलाहाबाद तालुका

समा नम्बर :- 50/2018

दिनांक :- 29/05/2018

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी  
मिनजानिब मुददई रुबरु श्री जमनालाल रड.

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

जाम उदयपुरा तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 222, 237

का 2.57 हे. सम्पूर्ण में तथा कृषि भूमि ख. नं. 341, 342 (कबा 2.42 हे.

1/4 हिस्सा में तथा कृषि भूमि ख. नं. 338 (कबा 0.02 हे. में 1/3 हिस्सा)

बादगीश का दर्ज नाम जमना देवी पति मन्मथ प्रसाद, सीतालाल, सुरेश

का मन्मथ प्रसाद के स्वात पर जमना देवी पति मन्मथ प्रसाद, सीतालाल,

सुरेश मन्मथ प्रसाद, बन्नालाल इलाहाबाद तहसील खण्डेला के

पक्ष / पति का : \*

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

दिनांक 29/05/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



*(Signature)*  
भागीरथ शाख  
(भागीरथ शाख)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
.....		आदेशिका की तामील	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		कमिश्नर की फीस	
कमिश्नर की फीस			
आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

※. पत्नी बन्नाम

② सीताम पुत्र बन्नाम

③ सुरा पुत्र बन्नाम

समस्त जाति अहीर निवासी उदयपुरा तहसील खण्डेला  
जिला सीकर राज.

— वादीगण



※. पुत्र भगवाना

② धावामल पुत्र भगवाना

③ चौबूनाम पुत्र चौबूनाम

④ मूलचन्द पुत्र चौबूनाम

समस्त जाति अहीर निवासी उदयपुरा तहसील खण्डेला  
जिला सीकर राज.

⑤ भूमिधारी तहसीलकार खण्डेला

— प्रतिवादीगण

※. नाम "मयूराजसाद" के स्थान पर लही व वास्तविक नाम  
"बन्नाम" दुरुस्त किया जाता है। अतः उपर्युक्तानुसार राजस्व  
कार्ड में अमल दायमद है।

2/1/18  
अजीथ शाख  
(RAS)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला